मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल दिनांक 31 /08/2026

क्रमांक 1/1/1/0002/2026-ESTB-FWAD :- इस विभाग के आदेश क्रमांक 1/1/3/0003 /2026-Sec-1-14(AGR) दिनांक 13.07.2026 द्वारा संयुक्त संचालक संवर्ग के अधिकारियों को अपर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के पद पर वेतनमान रूपये 37400-67000+ 8700 ग्रेडपे (म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट पे-मेट्रिक्स लेवल-15) (सातवां वेतनमान 123100-215900) में पदोन्नत किया गया ।

अतः राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति उपरांत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्नलिखित तालिका के कॉलम-4 में दर्शित कार्यालय/पद में पदस्थ करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कार्यालय	पदोन्नति उपरांत पदस्थी कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री रेवा सिंह सिसोदिया, अपर संचालक	प्रभारी प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल
2.	श्री डमरूलाल कोरी, अपर संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल	अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ीकला भोपाल एवं प्रभारी संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ीकला भोपाल

प्रमाणित किया जाता है कि म०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) तथा म०प्र० लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधो का पूर्ण संज्ञान है।

उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किये जाने वाले आदेशो के अध्याधीन होगी।

जिन पदोन्नत शासकीय सेवको को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है उन्हें छोडकर शेष शासकीय सेवको को म०प्र० लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

शासन आदेश क्र. 1/1/3/0003/2026-Sec-1-14(AGR) दिनांक 13.07.2026 के द्वारा पदोन्नत अधिकारियों के विरूद्ध कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है जिससे पदोन्नति प्रभावित

निरंतर..................

हो, तो ऐसी परिस्थिति में पदोन्नत आदेश स्वमेव निरस्त माने जावेगें एवं नियंत्रण अधिकारी, पदोन्नत आदेश को हस्तगत न कराते हुये मूलत: शासन को वापस करेगें।

पदस्थी स्थल पर एक माह के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अवनीश मिश्रा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 1/1/1/0002/2026-ESTB-FWAD भोपाल, दिनांक 31/08/2026

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय।
7. सचिव, म.प्र. लोकसेवा आयोग, इंदौर म.प्र.।
8. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल।
9. संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ीकला भोपाल ।
10. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल।
11. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल म.प्र.।
12. संबधित अधिकारीगण .... (द्वारा अनुक्रमांक 8)
13. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग